पंचदश माला, खंड 35, अंक 18

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2013
12 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

3 SEP 2013

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 89
Dated 12 Sept 2016

(खंड 35 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बाल शेखर
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

पंचदश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)

अंक 18, मंगलवार, 03 सितम्बर, 2013/12 भाद्रपद, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1–3
राज्य सभा से संदेश	3–4
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता और उनके पुनर्वास तथा नागपुर शहर में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार.....	11–12
(दो) कर्नाटक के कुद्रेमुख में एक ईको-टूरिज्म परियोजना शुरू किये जाने की आवश्यकता	
श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	12
(तीन) प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) और भोपाल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को इंदौर तक बढ़ाने और इसे प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्कता	
राजकुमारी रत्ना सिंह	12–13
(चार) तमिलनाडु के चेय्यर में खाली भूमि पर औद्योगिक विकास किये जाने की आवश्यकता	
श्री एम. कृष्णास्वामी.....	13
(पांच) राजस्थान में कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह.....	14
(छह) राजस्थान के भरतपुर को बृज पर्यटन सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन सिंह.....	14–15
(सात) पूर्व रेलवे के आसनसोल डिविजन में छोटा अमोना और कालू बथान रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पशुपति नाथ सिंह	15
(आठ) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	15
(नौ) झारखंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री निशिकांत दुबे	15–16

(दस) यातायात के निर्बाध आवागमन को सुकर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रिंग रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री मिथिलेश कुमार 16

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बखीर झील के आस-पास जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 16-17

(बारह) बिहार में वाम चरमपंथ से प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह 17

(तेरह) पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों के विकास और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के समुचित कार्यकरण के लिए नए मुख्य कार्यकारी का चुनाव किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 17-18

(चौदह) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राजसहायता का उन्हें पूर्ण लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 18-19

(पन्द्रह) तमिलाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शीतागार सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के. एस. विजयन 19

(सोलह) तमिलनाडु में नारिकोरावस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल 19

(सत्रह) ओडिशा के कोरापुट जिले के दामनजोडी में नाल्को की स्थापना के लिए जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई 20

(अट्ठारह) बिहार में विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की माँग पर विचार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 20-21

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबंधित फाइलों का कथित रूप से होना 22-25

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव 25

श्री पी. चिदम्बरम 25-27

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बालशेखर

लोक सभा

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2013/12 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

...(व्यवधान)...

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया : हर समय शोर नहीं मचाइए। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझान की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9703/15/13]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9704/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अन्तर्गत निम्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यक्ष को नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2012 जो 30 जून, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 159 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2013 जो 3 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (उपाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 779 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9705/15/13]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9706/15/13]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा, के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9707/15/13]

...(व्यवधान)...

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम) : मैं सविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 16) (स्वायत्तशासी निकाय)-निष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9708/15/13]

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 19 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :-

''कि राज्य सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहायता हुई कि डॉ. ई.एम सुदर्शन नाच्चीयप्पन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ. वी. मैत्रेयन की सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे और ऐसी रीति से जैसा कि सभापति निदेश दें, उक्त समिति में कार्य करने हेतु इस सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है :-

1. श्री अश्विनी कुमार
2. डॉ. वी. मैत्रेयन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष जी, हमारी ओर से सांसद श्री हंसराज अहीर के द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया गया है। *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी जगह बोल रही हैं।

...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको याद होगा कि इस सत्र के दौरान जब कोयला ब्लॉक से संबंधित फाइलों के गायब होने का मामला उठा था, तो मैंने उस विषय को यहां उठाया था और प्रधानमंत्री जी से यहां आकर वक्तव्य देने की मांग की थी। उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री उठे थे और उन्होंने यह कहा था कि कोयला मंत्री जी इस पर वक्तव्य दे दें, उसके बाद आप चर्चा की मांग कर लें और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं इंटरवीन करेंगे। *...(व्यवधान)...* उनकी यह बात सुनकर हम शांत होकर बैठ गये थे और सदन की कार्यवाही आगे चलने लगी थी। कार्यवाही कैसे चली, यह आपको मालूम है। हमने रात के दस-दस बजे तक बैठकर खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया, हमने भूमि-अर्जन विधेयक पारित किया। लगातार कार्यवाही चलती रही और बिल पारित होते रहे। लेकिन अध्यक्ष जी, हमें आज यह जानकारी मिली है कि कल प्रधानमंत्री जी जी-20 की बैठक के लिए विदेश जा रहे हैं। इसलिए केवल आज का दिन बचा है, उस आश्वासन की पूर्ति के लिए जो सदन में खड़े होकर कोयला मंत्री जी ने दिया था। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी फटकार सरकार को लगी है, उन्होंने दो टिप्पणियां कीं। एक तो यह कहा कि अगर फाइलें गायब हो गयीं, तो एफ.आई.आर.

दर्ज़ क्यों नहीं करायी गयी ? दूसरी टिप्पणी तो उससे भी भयंकर थी। उन्होंने कहा कि फाइलें गायब हुई हैं या यह कवर-अप ऑपरेशन है ? यह कवर-अप करने के लिए है। ...*(व्यवधान)*... इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे सांसद श्री हंसराज अहीर द्वारा दिया गया प्रस्ताव आप स्वीकार करें और बाकी सारी चीज़ों को पीछे करे उस पर चर्चा कराएं। श्री प्रकाश जायसवाल वक्तव्य दें, हम उस पर डिबेट करें और प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर इंटरवीन करें। वरना यह सत्र छः तारीख को समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। हमारे पास केवल आज का दिन है। मैं सदन के अपने अन्य साथियों से भी कहूंगी कि बाकी अन्य विषयों को छोड़कर आज हम कोयले से संबंधित फाइलों के ऊपर बात करें। प्रधानमंत्री जी यहां आएं और यह चर्चा यहां हो। हमारा स्थगन प्रस्ताव आप मंजूर करें, यह मेरा अनुरोध हैं। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री टी.आर.बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : मैंने कच्चातीवू पर सरकार के पक्ष के बारे में नियम 193 के अंतर्गत एक चर्चा की सूचना दी है ...*(व्यवधान)*...

पूर्वाहन 11.05 बजे

इस समय डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य

आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

श्री शरद यादव।

...*(व्यवधान)*...

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, यह हालत बोलने लायक नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

पूर्वाहन 11.06 बजे

इस समय डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य

अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

शरद यादव जी, अब बोलिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है। ...*(व्यवधान)*... पहले अभी जो कोल ब्लॉक के बारे में बोला गया है, मैं उससे सहमत हूं। मगर, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के 80 फीसदी लोगों का, कांस्टीट्यूशन बेंच ने पूरी तरह से हक समाप्त कर दिया है और वह निर्णय आज लागू हो गया। एम्स ओडीशा, पटना में, भुवनेश्वर में और रायपुर में, चारों तरफ रिजर्वेशन के बारे में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने, अल्तमतस कबीर ने, वह फैसला लागू हो गया और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*... पहले सरकार ने जवाब दिया था कि हम इन्द्रा साहनी केस के निर्णय को मानेंगे। आपने जवाब दिया था कि इसके चलते कोई नुकसान वीकर सेक्शन्स का, कमजोर तबकों का नहीं होगा। एससी, एसओ, ओबीसी, इन सारे लोगों को पूरी तरह से रिजर्वेशन सी और डी में कर दिया गया।...(व्यवधान)... ऐसा तमाशा हो रहा है और सरकार ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : डीजल की कीमतों को कम किया जाना चाहिए। यह किसानों को चोट पहुँचा रहा है, यह सबसे गरीब लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। ...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : कमलनाथ जी, यह जवाब आपका अभी तक नहीं आया है। आपकी सरकार ने कहा था कि आठ दिन में इसको ठीक करेंगे। ...*(व्यवधान)*... क्यों नहीं आपने इसको ठीक किया ? क्यों नहीं इसका जवाब दिया ?...*(व्यवधान)*...

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : मैडम, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : प्रधानमंत्री की श्रीलंका में हो रहे राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : क्या आप सम्बद्ध होना चाहते हैं

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अब क्यों जवाब नहीं दे रही है सरकार ? आपने कहा था कि नोटिस निकालेंगे, ...*(व्यवधान)*... इन्द्रा साहनी केस का निर्णय सात न्यायाधीशों की बेंच का है। यह निर्णय पांच न्यायाधीशों की बेंच का है। ...*(व्यवधान)*... आप क्या चाहते हैं ? 80 फीसदी लोगों को संविधान ने जो हक दिया है, उसे क्यों छीनना चाहते हैं ? क्यों उसे खत्म करना चाहते हैं ?

...(व्यवधान)... क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? *...(व्यवधान)...* सरकार पूरी तरह से क्यों नहीं बोलती? *...(व्यवधान)...* मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, कपिल सिब्बल से बात की, उन्होंने कहा कि आठ दिन में इसको ठीक करेंगे। *...(व्यवधान)...* अध्यक्ष जी, यह कोई मामूली बात नहीं है। *...(व्यवधान)...* हम लोग यहां शांत नहीं बैठेंगे। *...(व्यवधान)...* इस तरह का मामला होगा, तो आप जान लीजिए, आज सदन में यह बात उठ रही है, क्यों देश भर में बवाल करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... देशभर में लोग आज क्यों बेचैन हैं? इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इसके बारे में कैटेगॉरिकल जवाब आना चाहिए। *...(व्यवधान)...*

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारन) : महोदया, मैं श्री शरद यादव, द्वारा उठाये गए मामले से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : श्री नामा नागेश्वर राव जी मुझे श्री संदीप दीक्षित, संसद सदस्य द्वारा कथित तौर पर 2 सितम्बर, 2013 को सभा में आपकी पार्टी के निलंबित सदस्यों के धमकाने के लिए उनके विरुद्ध दिनांक 2 सितम्बर, 2013 को आपकी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है।

" यह मामला मेरे विचाराधीन है।

"श्री पोन्नम प्रभाकर जी मुझे डॉ. एन शिवप्रसाद, श्री एम वेणुगोपाल रेड्डी, श्री एन कृष्टप्प और श्री के नारायण राव, संसद सदस्यों द्वारा 2 सितम्बर 2013 को सभा में कुछ अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने के लिए उनके विरुद्ध दिनांक 3 सितम्बर, 2013 की आपकी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है।

"यह मामला भी मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : दलित सांसद को धमकी दी गई *...(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं इस पर विचार कर रही हूँ।

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.11 बजे

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री गोबिन्द चन्द्र भासकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज-बिहार) : अध्यक्ष महोदया, पूरा बिहार बाढ़ और सूखे की चपेट में आ चुका है। अब बिहार सरकार की तरफ से कोई भी राहत सामग्री नहीं दी जा रही है।*...(व्यवधान)...* यहां तक कि पशुओं के लिए चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पशु भी वहां मरने लगे हैं। बिहार सरकार निकम्मी साबित हो चुकी है। इसलिए केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करके बिहार के बाढ़ और सूखा प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करानी चाहिए। *...(व्यवधान)...* इसके अलावा केन्द्र से तत्काल एक सर्वेक्षण दल वहां भेजा जाए। अगर बिहार सरकार मांग नहीं भी करती है, तो भी बिहार की जनता को राहत पहुंचाने के लिए यथाशीघ्र केन्द्र सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। यहीं मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है। *...(व्यवधान)...*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, आज हमारे सामने एक गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है। आरक्षण खत्म करने के बजाए हमें आरक्षण बढ़ाओं की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हमारे सामने मुद्दा स्पष्ट हो गया है कि 'आरक्षण बचाओं और आरक्षण बढ़ाओं।' *...(व्यवधान)...* आरक्षण खत्म करने के लिए यह एक बड़ा गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो उपेक्षित और दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनकी उपेक्षा करके देश कैसे चल सकता है। अगर इस तरह से भेदभाव किया जाएगा तो आपस में दूरियां बढ़ेंगी और हमें देश को एक साथ लेकर चलने में मुश्किल होगी। *...(व्यवधान)...* इस तरह का फैसला जो न्यायालय से आया है, सर्वदलीय बैठक में सिब्बल साहब ने कहा था कि हम प्रास्तव लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द करेंगे। *...(व्यवधान)...* लेकिन आज 3 तारीख हो गई है और वर्तमान सत्र के सिर्फ तीन दिन शेष हैं। अब यह सदन तो ऐसे ही चलता है। *...(व्यवधान)...* मेरी मांग है सरकार से कि सर्वदलीय बैठक में सिब्बल साहब ने जो वादा किया था कि हम प्रस्ताव लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द करेंगे। हमारी अपील है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। *...(व्यवधान)...* उस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों के लोग थे, जहां मंत्री जी ने यह वादा किया था। इसलिए उस वादे को सरकार पूरा करे और न्यायालय के उस फैसले को रद्द करके आरक्षण को बचाना चाहिए। नहीं तो हमें इसके लिए पूरे देश में लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि 'आरक्षण बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ।' *...(व्यवधान)...*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले एम्स के बहाने पूरे हिन्दुस्तान में रहने वाले जो दलित हैं, शोषित हैं, एससी है, एसटी हैं, ओबीसी को नौकरी से वंचित रखने की साज़िश हुई, जिसे लेकर देश की संसद में सभी राजनैतिक दलों ने और हमारी पार्टी के नेता ने भी इस बात को उठाया था।*...(व्यवधान)...* इस सवाल को लेकर देश के कानून मंत्री सिब्बल साहब ने कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

फिर सरकार इससे क्यों मुकर रही है?...*(व्यवधान)*... हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार साज़िश कर रही है इस देश के 80 फीसदी जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित करने की। ...*(व्यवधान)*... इसलिए हम कहना चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, कानून मंत्री जी यहां आकर बयान दें और कहें कि संविधान संशोधन विधेयक इस सदन में आने वाला है। तब ही हिन्दुस्तान में अमन चैन हो सकता है। इसलिए हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, एम्स जैसे कुछ विभागों में अ.जा, अ.ज.जा और अ.पि.व हेतु आरक्षण संबंधी समस्या है। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसी पत्र में एक संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करेगी जबकि, सरकार ने अब तक संविधान(संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित करने की कोई पहल नहीं की है। इस पत्र में केवल चार दिन शेष बचे हैं, परन्तु, सरकार अ.जा और अ.ज.जा को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु कोई विधान बनाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही या पहल नहीं की है। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.पी.टी को एक नया परिपत्र जारी करना चाहिए ताकि सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण के प्रतिशत को पूर्णत: और उचित तरीके से इसमें सम्मिलित किया जा सके।...*(व्यवधान)*... मौजूदा अधिसूचना में कई खामियां है जिनका अनेक सरकारी उपक्रम लाभ उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*... धन्यवाद, महोदया...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : अब प्रो. सौगत राय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*...

पूर्वाह्न 11.16 बजे

इस समय, श्री गोबिंद चन्द्र नास्कर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं वर्तमान सरकार द्वारा तेल की कीमतों में की गई अत्याधिक वृद्धि की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ...*(व्यवधान)*... तीन दिन पहले पेट्रोल के मूल्यों में 2.50 रुपये की वृद्धि की गई और डीजल के मूल्यों में ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : आपने हवाई भाड़े के बारे में सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : सूचना हवाई भाड़े के बारे में है।

...*(व्यवधान)*...

प्रो. सौगत राय : जी नहीं, महोदया, कृपया आप मेरी सूचना को पढ़िए...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि यह हवाई भाड़े के बारे में है।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण श्री प्रहलाद जोशी, श्री शिव कुमार उदासी और श्री देवजी एम पटेल को प्रो. सौगत राय जी द्वारा दी गई सूचना के मुद्दे के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(**डॉ. एम तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*...

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हों। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*...

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता और पुनर्वास तथा नागपुर शहर में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। विदर्भ क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक बहुत गंभीर और अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है जिससे इस क्षेत्र के कई भागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

चन्द्रपुर और यवतमाल जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। चन्द्रपुर जिले में दो दिन तक जल भराव रहा तथा वहाँ पूरी संचार व्यवस्था ठप्प हो गई। इसके परिणाम स्वरूप घरों में पानी घुस गया, सड़के टूट गईं, मल-जल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए और बहुत से मवेशियों की मृत्यु हो गई। सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पानी भरने के फलस्वरूप हर तरफ स्थिति और अधिक गंभीर हो गयी। सिंचाई परियोजनाओं को बुरी तरह नुकसान हुआ है। खेतों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है जिसके फलस्वरूप न केवल खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं बल्कि नई फसल उगाने की संभावना भी बहुत दूर की बात है। 4 लाख हेक्टेअर से ज्यादा कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है।

लगातार वर्षा के कारण नाग नदी, पीली नदी और और चंभर नाले में बढ़ते जल स्तर ने सुरक्षा दीवार के न होने के चलते नागपुर शहर के बहुत से क्षेत्रों में लगभग बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। क्षेत्र के अन्य भागों की अपेक्षा नागपुर शहर में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नागपुर में 1008 मिमी तक भारी वर्षा हुई है जोकि औसत वर्षा से 222.17% अधिक है। 771 सड़को (1195.72 किमी) और 14 पुलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सारा सड़क नेटवर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। हर तरफ फैले कमरे के फलस्वरूप अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा हो गई है जोकि न केवल स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है बल्कि मच्छरों के प्रजनन हेतु एक सुरक्षित स्थान भी है। इस असाधारण स्थिति को रोकने के लिए यदि निगम अधिकारियों ने समय पर निवारक कदम उठाए होते तो स्थिति ऐसी नहीं होती।

नागपुर में झुग्गी-झोपडियों में रह रहे लगभग आठ लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, बाढ़ के कारण उनकी आजीविका को बहुत नुकसान हुआ है और यहां तक कि उनके सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वे बहुत दयनीय स्थिति में हैं क्योंकि जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं वे गहरे पानी में डूबे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। वर्तमान मानसून के मौसम ने लोगों के लिए उससे कहीं अधिक खराब स्थिति पैदा की है जैसी कि उन्होंने पिछले चार सालों में देखी थी।

विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हुए अत्याधिक नुकसान से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नागपुर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए तथा बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को राहत प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए और अन्य विकास कार्यों को करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाए।

(दो) कर्नाटक के कुद्रेमुख में एक ईको-टूरिज्म परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री के. जयप्रकाश हेगडे (उडूपी-चिकमंगलूर) : सरकार द्वारा संचालित कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल) ने कुद्रेमुख में अपनी मौजूदा अवसंरचना का इस्तेमाल कर इको-पर्यटन की नई परियोजना में 805 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए इको-पर्यटन के क्षेत्र में प्रवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और परियोजना हेतु कर्नाटक सरकार से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर ली है।

के.आई.ओ.सी.एल के पास कुद्रेमुख में एक लौह अयस्क खदान है, जोकि 30 सालों तक चालू थी और 2006 में पर्यावरणीय मुद्दों के कारण इसे बंद किया गया था। के.आई.ओ.सी.एल की योजना अपनी 1622 एकड़ भूमि पर विद्यमान सुविधाओं का उपयोग कर परियोजना विकसित करने की है और इसने 99 सालों के लिए पट्टे के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस परियोजना से राज्य को राजस्व प्राप्त होगा और यह स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगी।

के.आई.ओ.सी.एल ने इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है कि यह परियोजना 162 हेक्टेयर राजस्व भूमि पट्टा क्षेत्र में स्थापित की जाएगी न कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान (के.एन.पी) क्षेत्र में। यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा के.एन.पी में शुरु की जाने वाली बाघ संरक्षण परियोजना के आड़े नहीं आएगी और यह भूमि देश के कानून अनुरूप होगी।

इसलिए मैं कुद्रेमुख में इको-पर्यटन परियोजना स्थापित करने हेतु सभी आवश्यक सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

(तीन) प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) और भोपाल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को इंदौर तक बढ़ाने और इसे प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ से भोपाल के बीच एक रेल सेवा सप्ताह में तीन दिन चल रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग उज्जैन एवं महाबलेश्वर की तीर्थ यात्रा

करते हैं और हजारों की संख्या में प्रतापगढ़ के एवं आस-पास जिलों के लोग इन्दौर में कार्यरत हैं। उपरोक्त रेल सेवा केवल भोपाल से प्रतापगढ़ के बीच सेवारत है जिसके कारण तीर्थ यात्रियों एवं इंदौर में काम करने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहां के लोगों की मांग है कि उपरोक्त रेल सेवा को भोपाल से इंदौर के लिए बढ़ाया जाए और इस रेल सेवा को सप्ताह के तीन दिन के स्थान पर प्रति दिन चलाया जाए।

अत: सरकार से अनुरोध है कि प्रतापगढ़ और भोपाल के बीच चलने वाली उपरोक्त रेल सेवा को इंदौर तक बढ़ाया जाए और उक्त रेल सेवा को सप्ताह में तीन दिन की बजाय रोज़ाना चलाया जाए।

(चार) तमिलनाडु के चेय्यर में खाली भूमि पर औद्योगिक विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी) : मैं अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले चेय्यर में और अधिक उद्योग तथा अन्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तिरूवन्नामलाई जिले में स्थित चेय्यर, चेन्नई से लगभग 90 किमी और कांचीपुरम से लगभग 18 किमी की दूरी पर है और तमिलनाडु राज्य उद्योग प्रोत्साहन निगम (सिपकोट) द्वारा वहां औद्योगिक परिसर की स्थापना करने से वहां औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। तमिलनाडु सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत यहां लगभग 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। लोटस शू कंपनी यहां पर आई और इसमें लगभग 7000-8000 लोग काम कर रहे हैं तथा एक दूसरी कंपनी अशोक लेलैण्ड की सहयोगी कंपनी भी इस क्षेत्र में आई है। सिपकोट के अन्तर्गत चेय्यर में दो प्रमुख कंपनियों की स्थापना के बाद भी, वहां सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई जमीन में से बहुत सी बिना आवंटन वाली खाली भूमि है।

इस तरह की खाली भूमि का उपयोग करने के लिए खाली भूमि को किन्हीं उद्योगों अथवा सूक्ष्म उद्यमों को देने की बहुत आवश्यकता है ताकि इस भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके और देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए रोजगार भी पैदा हो सके। चूंकि श्री पेरम्बुदूर और गादम जैसे निवेश के आकर्षक केन्द्र पूरी तरह भर चुके हैं, ऐसे में चेय्यर औद्योगिक उद्देश्य हेतु निवेश के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य में औद्योगिकीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए सिपकोट की भूमिका केवल मात्रात्मक ही नहीं है अपितु गुणवत्तात्मक भी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आम जनता के हित में चेय्यर (सिपकोट) में खाली भूमि पर और औद्योगिक विकास हेतु हस्तक्षेप करें तथा कदम उठाए।

(पांच) राजस्थान में कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा संभागीय क्षेत्र में अत्याधिक वर्षा होने के कारण जनजीवन अत्यंत अस्त-व्यस्त हो गया है जिसके कारण किसानों के खेतों में कई दिनों तक पानी रहने के कारण उनकी खड़ी फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है एवं फसल खराब हो गई है। फसल के खराब होने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है एवं इसी संभाग के अंतर्गत शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को बहुत नुकसान पहुँचा है। कई घर अत्यधिक वर्षा से गिर गए और रहने के लायक नहीं रहे हैं जिसमें कई मकान खतरनाक स्थिति में पहुँच गए हैं।

सरकार से अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में अत्याधिक बरसात के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है और जिन किसानों के घर बर्बाद हुए हैं उनको फसल के नुकसान की भरपाई और जो घर रहने के लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता दी जाए जिससे अत्यधिक बरसात से पीड़ित लोगों को राहत मिल सके।

(छ:) राजस्थान के भरतपुर को बृज पर्यटन सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर प्राचीन काल व द्वापर युग से निर्मित कई धार्मिक स्थल व भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में की गई क्रीड़ाओं के धार्मिक चिह्न आज भी श्रद्धालुओं व पर्यटकों को उनकी धार्मिक आस्था से जोड़े हुए हैं साथ ही यहां के शासकों द्वारा निर्मित भवन व अन्य स्मारक भी पर्यटकों को लुभाते रहे हैं। भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थल विदेशों से आए पर्यटकों को आकर्षित करता है। भरतपुर का किला व सौन्दर्यपूर्ण एवं शुद्ध जल आपूर्ति वाली सुजानगंगा, डीग में चारों तरफ झील वाला जलमहल व बयाना का किला एवं ऊषा मंदिर, वेर में किला व फुलवारी इत्यादि स्थलों पर देश-विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। भरतपुर से 25 किलामीटर स्थित खानवा का प्रसिद्ध मैदान राणा सांगा व बाबर की युद्धभूमि है। भरतपुर के रूपवास में अकबर द्वारा बनाया गया तालाब भी यहां पर है जहां पर पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। भरतपुर का अधिकांश भाग बृज क्षेत्र में पड़ता है। बृज चौरासी की परिक्रमा में भरतपुर के डीग, कामा और आसपास के मंदिर क्षेत्र आते हैं। डीग क्षेत्र में चारों धाम आदिबद्रीजी, केदार नाथ जी, गंगोत्री, जमुनौत्री, कामा क्षेत्र में भोजन, थाली, चरण पहाड़ी भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं से जुड़ी हुई है। भरतपुर के परमदरा में श्री कृष्ण द्वारा निर्मित सुदामा महल भी है। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव एंव बरसाना भरतपुर के साथ सटे हुए हैं। भरतपुर का चयन यूनेस्को की क्रिएटिव सिटिज नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भरतपुर जिले को ब्रज सर्किट पर्यटन के अंतर्गत जोड़ा जाए जिससे कृष्ण भक्त लोग इसका फायदा उठा सकें एवं उन्हें आने-जाने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके साथ भरतपुर में स्थित अनेक ऐतिहासिक इमारतें एवं किलों का रखरखाव समुचित ढंग से हो सके।

(सात) पूर्व रेलवे के आसनसोल डिविजन में छोटा अमोना और कालू बथान रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की अवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : पूर्वी रेलवे के आसनसोल मण्डल में छोटा अमोना और कालू बथान रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन धनबाद और कुमारडुबी से 25 से 30 किमी. की दूरी पर स्थित है। इन रेलवे स्टेशनों पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रूकती है, जबकि रेलवे स्टेशन के दोनों ओर लाखों की जनसंख्या रहती है तथा हजारों लोग लंबी दूरियों का सफर करते हैं। वर्तमान में इस रूट से करीब 25 एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है। इस क्षेत्र से सुदूर स्थानों से कुमारडुबी और धनबाद स्टेशन की दूरी 40-50 किमी. तक है।

अत: सरकार से मांग करते हैं कि जनहित में इन रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर राँची, दिल्ली, हावड़ा, सियालदह, दुमका आदि स्थानों पर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

(आठ) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : मैं ऊर्जा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने शासनकाल में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की थी। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने इस कॉलेज की स्थापना हेतु अपनी सहमति देते हुए एन.टी.पी.सी. एवं एन.एच.पी.सी. दोनों निगमों द्वारा इसमे सहभागिता के रूप मे प्रत्येक को रु. 37.50 करोड़ की धनराशि आवंटित करनी है।

हिमाचल प्रदेश की जनता इस कॉलेज की स्थापना की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। मेरा आग्रह है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में और विलंब न किया जाए, बलिक इसकी स्थापना हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरा माननीय विद्युत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अपने कर-कमलों से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का बिलासपुर में शीघ्र शिलान्यास करें।

(नौ) झारखंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : आर्थिक दृष्टि से झारखंड एक गरीब राज्य है और देश के 600 जिलों में से, गोड्डा जिला शिक्षा सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहने वालों में से एक है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, आई.टी, आई.आई.एम और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के संबंध में राज्य की लगातार अनदेखी की जा रही है। झारखण्ड में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसंरचना की बहुत कमी है।

संथाल परगना, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका की गिनती देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में होती है। संथाल परगना 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और संवैधानिक रूप से यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के गरीब और उपेक्षित लोगों की शैक्षिक आवश्यकता का ख्याल रखे।

इसलिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और मौजूदा सिधो कान्हो मुर्गु विश्वविद्यालय (दुमका) का स्तर बढ़ाया जाए तथा इसे संथाल परगना क्षेत्र में एक एक आदर्श स्थान हंसडीहा (दुमका) में स्थानान्तरित किया जाए।

(दस) यातायात के निर्बाध आवागमन को सुकर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रिंग रोड़ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में नगर के अंतर्गत चारों तरफ रेलवे लाइन बिछी हुई हैं जो कि पूरी तरह निष्प्रयोज्य है। कई बार इन रेलवे लाइनों की वजह से शहर में यातायात का संकट खड़ा हो जाता है, जिससे शहर के नागरिकों को यातायात बाधित होने तथा जाम में फंस जाने की वजह से काफी कठिनाई होती है। मैंने इस संबंध में माननीय शहरी विकास मंत्री जी को पहले भी पत्र लिखा था जिसमें इन निष्प्रयोज्य पड़ी रेलवे लाइनों को हटाकर शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाने हेतु निवेदन किया था। रिंग रोड बनने से शाहजहाँपुर नगर का यातायात सुगम हो जाएगा। इस संबंध में मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल इस परियोजना हेतु धन आवंटित करके इस पर कार्य चालू किया जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बखीरा झील के आस-पास जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) : दिनांक 29.8.2013 को लोक सभा में यू.पी.ए. की अति महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण (अर्जन) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 पारित हुआ है। उधर सरकार ने बखीरा झील, जो जनपद संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश में है, के इर्द-गिर्द किसानों की सैंकडों एकड़ जमीन का अधिग्रहण (अर्जन) बखीरा झील के विकास एवं सौदर्यीकरण के संदर्भ में आज से 20 साल पहले किया था। परंतु इन गरीब किसानों की जमीनों का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया तथा इनका पुनर्वास भी नहीं किया गया जिसके कारण ये गरीब किसान भुखमरी के कगार पर हैं तथा बीसों साल से मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि इन गरीब किसानों को अविलंब मुआवजा दिया जाये तथा इनका पुनर्वासन का कार्य अतिशीघ्र किया जाये।

(बारह) बिहार में वाम चरमपंथ से प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैं आपका सरकार की एल. डब्ल्यू. ई फेस-2 योजना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। गृह मंत्रालय ने देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को चिन्हित कर इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में सड़कों के निर्माण का बीड़ा उठाया है। यह योजना वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन इक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी के द्वारा अनुमोदित है। इस योजना के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा योजना का प्रारूप भी वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

बिहार राज्य के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद आदि जिलों का चयन इस योजना में किया गया है, किन्तु वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के अभाव में इन जिलों में सड़कों के निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी से अनुमोदित इस योजना के लिए अविलंब धन आवंटित करते हुए योजना के द्वितीय चरण का काम प्रारंभ कराया जाये जिससे उग्रवाद प्रभावित इन जिलों में सड़कों के निर्माण का अवरूद्ध कार्य पुन: प्रारंभ हो सके एवं उग्रवाद की समस्या के निदान हेतु उपयोगी एवं प्रभावी कदम उठाया जा सके।

(तेरह) पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों के विकास और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के समुचित कार्यकरण के लिए नए मुख्य कार्यकारी का चुनाव किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) की स्थापना केन्द्र, राज्य सरकार और गोरखा लैण्ड जनमुक्ति मोर्या के बीच हुए विपक्षीय समझौते के बाद हुई थी। परंतु अलग तेलंगाना राज्य बनाने की घोषणा होने के बाद अलग गोरखालैण्ड राज्य के लिए आंदोलन शुरू हो गया है और वहां के मुख्य कार्यकारी ने त्यागपत्र दे दिया है। अब यह आवश्यक है कि विमल गुरूंग के स्थान पर नये मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की जाए और जीटीए को पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग पहाड़ियों के विकास के लिए कार्य शुरु करना चाहिए। पहाड़ियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होनी चाहिए। इसलिए मैं संबंधित मंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राज सहायता का उन्हें पूर्ण लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक उन छात्रों को सौ प्रतिशत ब्याज राजसहायता उपलब्ध अथवा हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं जिन्होंने इन बैंको से शिक्षा ऋण लिया है। प्रत्येक छात्र 100% ब्याज राजसहायता का अधिकारी है। बैंकों के प्रबंधक इस राजसहायता को छात्रों को न देने के लिए बहुत से कारण गिना रहे है। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि शाखा प्रबंधक गरीब छात्रों की उस प्रकार से सहायता नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार उन्हें सहायता करनी चाहिए और इन छात्रों को सही मार्गदर्शन भी नहीं कर रहे हैं। अब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक शिक्षा ऋण को उच्च प्रमुखता और प्राथमिकता दे रहे हैं, तो गरीब छात्रों के लाभ हेतु बैंकों को इसे सही प्रकार से लागू करना चाहिए। शिक्षा ऋण लाभों को देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधकों द्वारा सही तरह से काम न किए जाने के कारण इसका उद्देश्य ही विफल हो रहा है और हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों की शिक्षा ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज राजसहायता उपलब्ध कराने अथवा हस्तांतरित करने किसी प्रकार की अवांछित शर्तें लगाए बिना और शिक्षा ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर तत्परता के साथ स्वीकृत करने और साथ ही इसे योजना के सच्चे अर्थों में शिक्षा ऋण मामलों को देखने का निर्देश दें।

(पंद्रह) तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शीतागार सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : मैं माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम, तमिलनाडु में शीतागार सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र नागापट्टिनम तमिलनाडु के मछुवारों के समक्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शीतागार सुविधाएं न होने के कारण मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का संग्रहण करने में आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मछली

पकड़ना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक कार्याकलापों में से एक है। काफी संख्या में मछुआरे समुद्र में जाते हैं और अपने कड़े परिश्रम और कुशलता के द्वारा वे बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ पाते हैं। तथापि, मेरे संसदीय क्षेत्र और उसके आस-पास समुचित शीतागार सुविधाओं की कमी के कारण वे उनका संग्रहण करने और उन्हें बाजार में बेच पाने में असमर्थ हैं। चूंकि वे मछली पकड़ने वाले दिन ही उन्हें बेचे नहीं पाते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में मछली और अन्य समुद्री उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरों की आय प्रभावित होती है। यदि समुचित शीतागार सुविधाओं का निर्माण हो जाए तो उन्हें मछलियों का संग्रहण करने और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें बाजार में बेचने में काफी मदद मिलेगी। इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी कुछ हद तक लाभ मिलेगा।

इसलिए मैं सरकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से शीतागार सुविधाएं स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(सोलह) तमिलनाडु में नरिकोरावास समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवेल्लूर) : मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु के नरिकोरावास समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नरिकोरावास लोगों को आधी सदी से भी अधिक समय से न्याय से वंचित रखा गया है। नरिकोरावास समुदाय तमिलनाडु के सर्वाधिक वंचित और संवेदनशील समुदायों में से है जो खानाबदोश और अत्यधिक गरीब हैं तथा सभी प्रकार के संवैधानिक संरक्षण के अधिकारी हैं। 16 जुलाई, 2012 को एक पत्र के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया था। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त 2013 को 'कुरुविक्करन समुदाय के साथ नरिकोरावास' को तमिलनाडु की अनुसूचित जातियो की सूची में शामिल करने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संसद के चालू सत्र में आवश्यक विधान लाने की भी मांग की है। असहाय नरिकोरावास समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई सभी संवैधानिक गारन्टी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह समानता का और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। तमिलनाडु सरकार नरिकोरावास समुदाय को अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक सारी सूचनाएं पहले ही केन्द्र सरकार को भेज चुकी है। इस अवसर में इस अत्यावश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में ही विधान लाने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) ओडिशा के कोरापुट जिले के दामनजोडी में नाल्को की स्थापना के लिए जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगत सिंहपुर) : वर्ष 1982 में नाल्को ने बॉक्साइट खनन और शोधन ईकाई स्थापित करने के लिए दामनजोडी, कोरापुट, ओडिशा में भूमि अधिगृहीत की थी जिसमें 22 गावों के 428 परिवारों ने जिनमें 90% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, अपनी भूमि खो दी। उक्त स्थान पर नाल्को की स्थापना के दौरान, सरकार के साथ-साथ नाल्को द्वारा भूमि विस्थापितों को मुआवजे के साथ-साथ नाल्को, दामनजोडी में रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। यद्यपि, भूमि विस्थापितों को मुआवजे की बहुत कम राशि दी गई, फिर भी वे दिए गए इस आश्वासन कि भूमि विस्थापितों के प्रत्येक परिवार के एक योग्य व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, की आशा में नाल्कों की स्थापना के लिए सरकार की पहल का समर्थन करते हैं। परंतु 30 से अधिक वर्ष गुजरने के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इस गरीब परिवारों के किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं दिया गया है। यह प्रशंसनीय है कि अंगुल, ओड़िशा में नाल्कों ने अगुंल ओडिशा के अपनी औद्योगिक अवस्थापना में प्रभावित और अत्याधिक प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। इस कार्यवाही से नाल्को, दामनजोडी के गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमि विस्थापितों में कुछ हद तक रोजगार पाने की उम्मीद जागी है।

इस संबंध में, मैं माननीय खान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखें और दामनजोड़ी, कोरापुट, ओडिशा में नाल्को के प्राधिकारियों को दामनजोड़ी के प्रत्येक गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार जिन्होंने 30 वर्ष से भी पहले नाल्को की स्थापना के लिए अपनी भूमि खो दी है, के एक योग्य सदस्य को रोजगार देने का आदेश दें।

(अठारह) बिहार में विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा उन्हे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग पर विचार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार राज्य के कानू, कुम्हार, कहार, गड़ेरिया, ततवा, ताँती, नाई आदि जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डालने हेतु इन जातियों का महासंघ मांग कर रहा है साथ ही लोहार, नोनियाँ, धानूक, मल्लाह, बींद, बेलदार, केवट, केऑटे, गंगौत गोढ़ आदि जातियों का महासंघ अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु आंदोलन कर रहा है।

मेरा आग्रह है कि इस संबंध में राज्य सरकार समाज अध्ययन संस्थान, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से परामर्श कर इन जातियों के महासंघों की मांग की आपूर्ति हेतु सदन से विधेयक स्वीकृत कराया जाय।

मध्याह्न 12.00 बजे

इस समय डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.0 ¼ बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृप्या अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बुलाऊँगा और आप मामले उठा सकते हैं। कृपया वापस जाइये और मामलों को उठाइये। मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समेवत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. एम तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय श्री पी के बिजू, श्री तपस पॉल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बुलाऊगा और आप मामले उठा सकते हैं। कृपया वापस जाइए और मामलों को उठाइए। मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुई)*

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)...

श्री अनंत कुमार (बंगलौर-दक्षिण) **:** हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)...*

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** प्रधानमंत्री जी कहां हैं? *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : माननीय प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना है।

अपराह्न 2.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

कोयला ब्लाकों के आबंटन से संबंधित फाइलों का कथित रूप से गायब होना

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कोयला ब्लॉकों के आबंटन की चल रही जांच से संबंधित फाइलों अथवा दस्तावेजों के तथाकथित रूप से गायब होने के संबंध में मैं यह जोर देकर कहना चाहता

हूँ कि सरकार सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है...*(व्यवधान)*...

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : यह उचित नहीं है। यह आपकी मांग है कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ... *(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : ये क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आंप वक्तव्य चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

डॉ. मनमोहन सिंह : और, इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि कुछ फाइलें वास्तव में गायब हो गई हैं। सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में आधे कोश दस्तावेज उसे सौंप दिए गए हैं। तथापि, तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखे बिना कुछ सदस्य आगे आकर अपना निष्कर्ष दे रहे हैं कि कुछ संदेहास्पद है तथा सरकार कुछ छिपा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह तथ्य कि 150,000 पृष्ठ से अधिक दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जांच की प्रक्रिया को सुकर बानने की हमारी मंशा पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। जिस समय सीएजी द्वारा निष्पादन-लेखापरीक्षा शुरू की गई थी, उसी समय से सरकार ने सीएजी से और उसके बाद सीबीआई से पूरा सहयोग किया है। हम ऐसा करते रहेंगे। यदि प्रश्नगत रिकॉर्ड वास्तव में गायब पाए जाते हैं तो सरकार इसकी जांच कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को दंड मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कोयला ब्लॉकों के आबंटन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है; देश का सर्वोच्च न्यायालय इन आबंटनो के सभी पहलूओं की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त 2013 को अपने आदेश में यह निदेश दिया है पांच दिनों के अंदर सीबीआई उन दस्तावेजों तथा रिकार्डों की व्यापक सूची प्रदान करेगी जो अभी उसे नहीं मिले हैं और तत्पश्चात सरकार दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध दस्तावेज सीबीआई को सौंप देगी। सरकार इन निदेशों का अक्षरश: अनुपालन करेगी तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपेक्षित दस्तावेजों को खोजकर उन्हें सीबीआई को सौंप देगी। यदि सरकार निर्दिष्ट समय के अंदर इन दस्तावेजों का पता नहीं लगा पाती है, तो उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुरूप उपयुक्त छान-बीन और जांच के लिए सीबीआई के पास रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

ऐसी स्थिति में, मैं इस सम्मानीय संस्था के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालें तथा सभा की सामान्य कार्यवाही चलने दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 7, माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : आपको ज्ञात है कि एक वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। वक्तव्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। हमारे पास स्पष्टीकरण हेतु कोई नियम नहीं है। यह क्या है?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

वक्तव्य के तुरंत बाद स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई नियम नहीं है।

...(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) **:** अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम एफट्र्स कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है...*(व्यवधान)*...यदि एफआईआर दर्ज नहीं कराई है तो सरकार ढूंढने के कौन से प्रयास कर रही है।...*(व्यवधान)*...खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करायें...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई गई?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होता है।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.06 बजे

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूँ :

"कि पेंशन निधियों की स्थापित, विकसित और विनियमित और विनियमित कर वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने, पेंशन निधियों की योजनाओं के अंशधारकों के हितों की रक्षा करने और उससे संबंधित अथवा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"सरकार ने 2011-12 के बजट में यह घोषणा की थी कि संशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 (लघु रूप में पीएफआरडीए विधेयक, 2011) को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार, विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत पीएफआरडीए नाम के एक संविधिक विनियामक निकाय का उपबंध करने हेतु पीएफआरडीए विधेयक, 2011 को 24 मार्च, 2011 को 15वीं लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। इस विधान का आशय पीएफआरडीए को नवीन पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को विनियमित करने का अधिकार देना है।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : आप मुझसे क्या चाहते है?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए, हम स्प्ष्टीकरण करवा देंगे।

...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) **:** प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में एक कैच है। आपने कहा है कि हम अवेलेबल पेपर्स दे देंगे, अवेलेबल का मतलब है उपलब्ध *...(व्यवधान)...* हम अनुपलब्ध की बात कर रहे हैं, गायब पेपर्स की बात कर रहे हैं, उन गायब पेपर्स का क्या हुआ? *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए, हम स्पष्टीकरण करवा देंगे।

...(व्यवधान)...

श्री पी. चिदम्बरम : पीएफआरडीए विधेयक, 2011 को जांच और उस पर प्रतिवेदन हेतु 29 मार्च, 2011 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 30 अगस्त, 2011 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने पीएफआरडीए विधेयक, 2011 को कुछ संशोधनों के साथ लागू करने की सिफारिश की है। सरकार ने एक सिफारिश को छोड़कर सभी सिफारिशों को मानने का निर्णय किया है, कुछ को पूरी तरह से, अन्यों को आंशिक रूप से। सरकार ने अंशधारकों के पेंशन खतों से प्रतिदेय अग्रिमों की सुविधा संबंधी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है परंतु निकासी की अनुमति प्रदान की गई है। तदानुसार, सरकार वित्त संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कुछ सरकारी संशोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। *...(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। *[अनुवाद]* मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भगलपुर) **:** मैडम, आडवाणी जी बोलना चाहते है।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया : उनके बाद बुलवा देंगे।

...(व्यवधान)...

श्री पी. चिदम्बरम : स्थायी समिति की सिफारिशों और सरकार की प्रतिक्रिया निम्नानुसार हैं :

(एक) वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि पेंशन निधियों हेतु विदेशी निवेश नीति को पीएफआरडीए विधेयक, 2011 का दो अंग माना जाए। तदनुसार, सरकारी संशोधनों का आशय यह है कि पेंशन निधियों में विदेशी निवेश सीमा ऐसी किसी भी निधि की प्रदत्त पूंजी का छब्बीस प्रतिशत अथवा ऐसा प्रतिशत होगा, जो भी अधिक दो, जिसे बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत किसी भारतीय बीमा कंपनी हेतु अनुमोदित किया जाये।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

(दो) वित्त संबंधी स्थाई समिति ने सिफारिश की है कि पीएफआरडीए की सहायता केवल अर्थशास्त्र, वित्त अथवा विधि में विशेषज्ञता रखने वाले संव्यावसायिकों (प्रोफेशनल) तक ही सीमित रखी जाए। इसे स्वीकार कर लिया गया है। *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न् 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011-जारी

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप कंटीन्यू कीजिए।*...(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं अब अगले बिन्दु के साथ अपनी बात जारी रखता हूं जो कि निम्नानुसार है:-

(तीन) वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि अंशधारकों का निधियों हेतु पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पेंशन निधि प्रबंधकों हेतु अंशधारकों द्वारा जमा निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए। *...(व्यवधान)...*

अपराह्न 3.0 ¼ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही 4 सितंबर, 2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे, तक स्थगित की जाती है।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 3.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 04 सितम्बर, 2013/13, भाद्रपद 1935(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और बंगाल ऑफसैट वर्कस, 335 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।